न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 84/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना मालवीय नगर
   बनाम
   श्री नरेन्द्र तोसनीवाल पुत्र श्री राधेश्याम तोसनीवाल, निवासी प्लाट नम्बर 01/1198, मालवीय नगर जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री प्रमोद शाण्डिल्य अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना मालवीय नगर, जयपुर पूर्व द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.01.2018 को गश्त करते हुए अप्रार्थी के मकान पर पहुंचे। कार्यवाही के दौरान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल गैस 26.600 किग्रा., 1 मोटर जिसमें दो पाईप, एक रेग्यूलेटर, एक नोजल व एक कार आल्टो नम्बर आरजे14–एलसी–9189 जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से कार की गैस किट में गैस अन्तरण का कार्य किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित मिले अब्दुल कादिर एवं बशीर मोहम्मद द्वारा बताया कि वे नरेन्द्र तोषनीवाल के यहां नौकरी करते हैं, जिनके द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री नरेन्द्र तोषनीवाल(मालिक) को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 19.02.2018 को अधिवक्ता श्री प्रमोद शाण्डिल्य ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। दिनांक 19.09.2018 को अप्रार्थी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 2,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 21.03.2018 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 16.01.2018 को जब्त सामान से अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से कार की गैस किट में गैस अन्तरण किया जा रहा था। अप्रार्थी की ओर से जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर उपस्थित अब्दुल कादिर(कर्मचारी) ने पूछताछ में बताया कि अप्रार्थी के पास कई गाडियां है जिनसे मोटर ड्राइविंग सिखाते हैं तथा वह उससे अवैध रुप से घरेलू गैस सिलेण्डर से उक्त मोटर द्वारा अल्टो गाडी में गैस भरवाने का काम करवाता है। मौके से पाये गये सामान से एवं सिलेण्डर में अधूरी गैस होने से अवैध रुप से गैस अन्तरण का कार्य किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल गैस 26.600 किग्रा., 1 मोटर जिसमें दो पाईप, एक रेग्यूलेटर, एक नोजल व एक कार आल्टो नम्बर आरजे14–एलसी–9189 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर